

प्रकरण क्रमांक WO 513722

**उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003**

आदेश क्रमांक 257 / विउशिनिफो / इंदौर / 22

प्रकरण क्रमांक WO 513722

विषय :- अधिक रिडिंग आने की शिकायत।

श्री गोपालकृष्ण राम पाटीदार,
बिसलबासकला,
नीमच (म.प्र.)

-----परिवादी

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.नीमच -----उत्तरदाता
आदेश

(आज दिनांक 27.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री रमेश शर्मा कार्यालय
सहायक श्रेणी-2 उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी का सिंगल फेज 1.0 वॉट क्षमता का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. 3474503-NRM90-2-N3503007815 है, जो 30-35 वर्ष पुराना है किंतु माननीय मुख्य मंत्री म.प्र.शासन की लाभ योजना से परिवादी को वंचित रखा गया है। अतः निवेदन है कि परिवादी को उक्त योजना का लाभ देकर, करण्ट बिल ही जमा करवाया जावे।

परिवादी ने परिवाद के साथ मासिक विद्युत बिल माह सितम्बर 2021 एवं माह मार्च 2022 की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2. विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के संदर्भ में परिवादी ने निम्नानुसार लिखित तर्क प्रस्तुत किया है:-

पुराने कनेक्शन क्र.38713 जो परिवादी के पिता श्री रामेश्वरजी के नाम से था, के प्रारूप/दस्तावेज वर्ष 1986-87 में जमा करवा दिये गये थे तथा बाद में पारिवारिक भूमि व मकान का बंटवारा हुआ।

दि.16.12.2017 को रु.747/- डिपॉजिट करवाये थे किंतु माह जनवरी 2018 से व्यवसायिक श्रेणी का बिल दिया जाने लगा, निवेदन करने पर त्रुटि सुधार नहीं

प्रकरण क्रमांक WO 513722

हुआ। कार्यालयीन लिपिक श्री शक्तावतजी के सलाह देने पर दि.20.08.2021 को एक हस्तलिखित आवेदन एवं रु.10000/- जमा करवाये गये जिसकी रु. 5000/- एवं रु. 5000/- की दो रसीदे दी गई। इसके बाद तीन बिल रु.220/-, रु.227/- एवं रु. 1000/- क्रमशः दि. 14.09.2021, 18.10.2021 एवं 12.11.2021 को जमा करवाये हैं।

अगला बिल आने पर बताया गया कि बकाया जमा कराओगे तो ही, बिल जमा करवायेंगे। बार बार यहां वहां निवेदन करने पर भी कोई बाबू सब्सिडी युक्त अमाउंट लेने को तैयार नहीं हुआ तथा मजबूरन केस फोरम में लगाना पड़ा।

परिवादी का कोई व्यवसाय नहीं है तथा विपक्ष द्वारा इसका कोई पंचनामा नहीं बनाया गया है, ना ही विजिलेंस टीम ने इसका निरीक्षण कर, परिवादी को कोई सूचना दी है।

अतः निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री म.प्र.शासन की योजना का लाभ देकर, करण्ट बिल ही जमा करवाया जावे।

परिवादी ने परिवाद के साथ विद्युत देयक माह अक्टूबर 2008, अगस्त 2010, जनवरी 2011, मार्च 2016, मार्च 2017 एवं माह नवंबर 2017 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

विपक्ष का कथन :-

परिवादी श्री गोपालकृष्ण राम पाटीदार, बिसलबासकला, का सिंगल फेज 1.0 वॉट क्षमता का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. **3474503-NRM90-2-N3503007815** है, क्योंकि परिवादी इसका उपयोग गैर घरेलू श्रेणी में करने के कारण, दि.01.08.2021 के पूर्व से गैर घरेलू श्रेणी में चला हा रहा हैं। माह अगस्त 2020 में उक्त कनेक्शन पर राशि रु. 43527/- बकाया थी। माननीय मुख्य मंत्री म.प्र.शासन की लाभ योजना घरेलू कनेक्शन के लिए है, गैर घरेलू कनेक्शन के लिए नहीं। अतः परिवादी के आवेदन पर दि. 01.08.2021 को उक्त कनेक्शन को गैर घरेलू श्रेणी से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित किया गया, तब कनेक्शन पर उक्त राशि बकाया होने से इसे म.प्र.शासन संबल योजना का लाभ नहीं मिला है।

वर्तमान में कनेक्शन जब गैर घरेलू श्रेणी से घरेलू श्रेणी में (नियमानुसार अधिकतम 1 किलोवॉट भार के अंतर्गत) परिवर्तित हुआ है, इन्हें शासन के सब्सिडी युक्त बिल दिये जा रहे हैं तथा बकाया राशि का भुगतान करने हेतु सलाह दी गई है।

2. परिवादी के द्वारा विपक्ष के जवाबदावे के संदर्भ में प्रस्तुत अतिरिक्त लिखित तर्क के विरुद्ध विपक्ष द्वारा निम्नानुसार लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई:—

परिवादी श्री गोपालकृष्ण राम पाटीदार, बिसलबासकला, का सिंगल फेज 1.0 वॉट क्षमता का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. 3474503-NRM90-2-N3503007815 है, से परिवादी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किओस्क बैंकिंग चलाई जाने के कारण माह मई 2018 में गैर घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित कर, उन्हें अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने स्वीकार किया जाकर विद्युत बिलो की बकाया राशि किश्तों में जमा कराना प्रारंभ किया गया। उक्त किओस्क हटाये जाने पर कनेक्शन माह अगस्त 2021में पुनः घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है।

परिवादी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किओस्क बैंकिंग चलाई जा रही थी, इसका प्रमाणीकरण हेतु श्रीमती दुर्गाबाई मेघवाल निवासी बिसलवासकला का भारतीय स्टेट बैंक की किओस्क बैंकिंग का आई डी कार्ड संलग्न किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से किओस्क चलाने वाले का नाम श्री गोपाल कृष्ण पाटीदार अंकित किया गया है। दूसरी आईडी इनके पुत्र मनीष पाटीदार के नाम की है।

2018 में परिवादी के घरेलू कनेक्शन को व्यवसायिक श्रेणी में करने की जानकारी परिवादी को होने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं थी, इसके चार वर्षों बाद यह अवधि बाधित प्रकरण, बकाया राशि रु. 48984/— जमा नहीं कराने के उद्देश्य से, तथ्यों को छिपाकर फोरम को प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त करने योग्य है।

3. फोरम सुनवाई दि.07.06.2022, 06.09.2022 एवं अंतिम सुनवाई दि. 13.09.2022 को विपक्ष को यह निर्देशित किया गया कि परिवादी के कनेक्शन को गैर घरेलू कनेक्शन करने के संबंधी दस्तावेज/पंचनामा/नोटिस आदि फोरम को प्रस्तुत किये जावे, जो कि नहीं किये गये।

दि.12.04.2018 को परिसर का निरीक्षण (एसबीआई का किओस्क उपयोग किया जा रहा है) करने संबंधी जिसमें परिवादी ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया, उल्लेखित है, एक पक्षीय निरीक्षण पत्र प्रस्तुत किया गया है, किंतु इस

निरीक्षण पत्र को परिवादी को किस माध्यम से संसूचित किया गया, का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

विधिक प्रावधान:—

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 :—

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन (Requisition for Supply)

4.8

विद्युत ऊर्जा के नवीन प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय का निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप (परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2) अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे उपभोक्ता द्वारा दो प्रतियों में जमा करना होगा। उपभोक्ता द्वारा कोरे आवेदन प्ररूप की छायाप्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से प्राप्त किए गए आवेदन प्ररूप का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :—

परिवादी ने उनके घरेलू कनेक्शन का, गैर घरेलू श्रेणी में बिल दिये जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करते हुए, बिल समाप्त कर, मुख्य मंत्री योजना में लाभ दिलाने की मांग की है।

विपक्ष ने कथन में बताया कि परिवादी के द्वारा परिसर में कनेक्शन से भारतीय स्टेट बैंक का किओस्क चलाया जाना पाये जाने के कारण, माह मई 2018 में घरेलू कनेक्शन को गैर घरेलू में परिवर्तित करते हुए, उन्हें अवगत कराया गया। मुख्य मंत्री लाभ योजना घरेलू कनेक्शन के लिए हैं। माह अगस्त 2020 में उक्त कनेक्शन पर राशि रु. 43527 /— बकाया थी।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का घरेलू कनेक्शन का, विद्युत देयक माह अक्टूबर 2008, अगस्त 2010, जनवरी 2011, मार्च 2016, मार्च 2017 एवं माह नवंबर 2017 की छाया प्रतियों अनुसार, माह नवंबर 2017 तक घरेलू श्रेणी में बिल किया जाना पाया गया है, जबकि विपक्ष के द्वारा उक्त घरेलू कनेक्शन को गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करने के संबंध में कोई मौका [निरीक्षण/पंचनामा](#) अथवा परिवादी से उक्त संबंध में लिये गये आवेदन की प्रति अथवा अन्य कोई ठोस दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत

नहीं किये गये हैं, जो कि विधिक प्रावधान का उल्लंघन है। अतः परिवादी के माह मई 2018 से माह जुलाई 2021 तक, गैर घरेलू श्रेणी में जारी किये गये बिलों को निरस्त किया जाना चाहिये। नियमानुसार म.प्र.शासन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राहत अनुसार बिल संशोधित किये जाने चाहिये एवं तदनुसार कनेक्शन उक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी का घरेलू कनेक्शन का, विद्युत देयक माह अक्टूबर 2008, अगस्त 2010, जनवरी 2011, मार्च 2016, मार्च 2017 एवं माह नवंबर 2017 की छाया प्रतियों अनुसार, माह नवंबर 2017 तक घरेलू श्रेणी में बिल किया जाना पाया गया है, जबकि विपक्ष के द्वारा उक्त घरेलू कनेक्शन को गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करने के संबंध में कोई मौका [निरीक्षण/पंचनामा](#) अथवा परिवादी से उक्त संबंध में लिये गये आवेदन की प्रति अथवा अन्य कोई ठोस दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि विधिक प्रावधान का उल्लंघन है। अतः:-

अ. परिवादी के माह मई 2018 से माह जुलाई 2021 तक, गैर घरेलू श्रेणी में जारी किये गये बिलों को निरस्त किया जाता है।

ब. नियमानुसार म.प्र.शासन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राहत अनुसार बिल संशोधित किये जावे तथा फोरम का आदेश पालन होने की दिनांक तक का तत्संबंधी अधिभार समाप्त किया जावे।

स. तदनुसार कनेक्शन उक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जावे।

03/ म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल)
अध्यक्ष